



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर



क्रमांक : FireNOC/2931

दिनांक : 13/01/2020

प्रेषित -

श्री आवेदक का नाम - gyan vihar co educational english medium school school

पता - B+G+3 D-BLOCK ,MALVIYA NAGAR,JAIPUR



विषय - स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने बाबत ।

प्रसंग - आपका पत्र दिनांक.....15/10/2019.....के क्रम में ।

आपके, gyan vihar co educational english medium school

3+G+3 D-BLOCK ,MALVIYA NAGAR,JAIPUR

का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा । एक वर्ष बाद अनापत्ति का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
2. gyan vihar co educational english medium school के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा ।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा ।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा ।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा ।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे ।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा ।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा ।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे ।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा ।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा ।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं । जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

